उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः665/यू.पी.रेरा/साम.रेग्यू. संशो. का.ज्ञा./2024–25 दिनांकः25 जनवरी, 2025

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्रांकः16940/यू.पी.रेरा/साम.रेग्यू. 2019, 5वां संशो./2024–25, दिनांक 14.12.2024 के माध्यम से स्थल निरीक्षण तथा प्राधिकरण की पत्रावलियों एवं दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु मानक शुल्क के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु कार्यालय आदेश संख्याः17132, दिनांक 20.12.2024 जारी किया गया है।

उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है कि यह विनियमन प्राधिकरण की वेबसाईट (वेबपोर्टल) पर प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगें। कतिपय पृच्छाएं प्रभार्यता की तिथि को लेकर आयीं हैं। तत्क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि मा. प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा एवं प्राधिकरण में हुए विचार–विमर्श में यह निर्णय लिया गया था कि यह शुल्क निरीक्षण पर लगाया जा रहा है तथा इसकी प्रभार्यता पोर्टल पर अधिसूचना के अपलोड होने के उपरान्त अवशेष सभी निरीक्षणों पर होगी। उपर्युक्त के दृष्टिगत एकरूपता एवं सही क्रियान्वयन हेतु पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि को जो भी प्रकरण निरीक्षण हेतु लम्बित हैं, सभी पर शुल्क की प्रभार्यता होगी।

अतः उक्तानुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
2. समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. न्यायनिर्णायक अधिकारीगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
8. सहायक निदेशक सिस्टम्स/सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को पोर्टल पर अपलोड करने एवं उपरोक्तानुसार व्यवस्था पोर्टल पर सुनिश्चित करने हेतु।
9. उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के समस्त प्रोमोटर्स को अनुपालनार्थ।

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव